न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 78/2023

अनवान : –

1. आदराम पुत्र राजू जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. राजूराम पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बिशना राम पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मीरा पुत्री राजूराम पत्नी जसवन्त जाति नायक निवासी चक 11 एल0एन0पी0 गंगाधर उद्योग बिहार गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लीला देवी पुत्री राजूराम पत्नी लालचन्द जाति नायक निवासी 1 एल0एम0 भोपालपुरा गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शादरा देवी पुत्री राजूराम जाति नायक निवासी चक 20 एल0एम0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. माया देवी पुत्री राजू पत्नी बलवीर निवासी चक 12, के0डब्ल्यू0एम0 राजोरी गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. अजय उम्र 17 वर्ष पुत्र माता कमा पत्नी दलिप कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका बड़ी बहन ममता पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
8. ममता पुत्री माता कमा पत्नी दलीप पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
9. ज्योति पुत्री माता कमा पत्नी दलीप पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
10. करीना उम्र 17 वर्ष पुत्र माता कमा पत्नी दलिप कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका बड़ी बहन ममता पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 519/507 की कुल 19.8670 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नियूराम वल्द लेखूराम के नाम राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 1 हिन्दु कर्ता

खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 10 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 का जो भी हक हिस्सा है उन्होने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब खातेदार काश्तकार है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर सम्वत 2070–73 खाता स0 519/507, प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल बन्दोबस्त रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर सम्वत 2029 ता 38 व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 519/507 की कुल 19.8670 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 519/507 की कुल 19.8670 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 78/2023

अनवान : –

1. आदराम पुत्र राजू जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. राजूराम पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बिशना राम पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल डबलीकला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मीरा पुत्री राजूराम पत्नी जसवन्त जाति नायक निवासी चक 11 एल0एन0पी0 गंगाधर उद्योग बिहार गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लीला देवी पुत्री राजूराम पत्नी लालचन्द जाति नायक निवासी 1 एल0एम0 भोपालपुरा गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शादरा देवी पुत्री राजूराम जाति नायक निवासी चक 20 एल0एम0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. माया देवी पुत्री राजू पत्नी बलवीर निवासी चक 12, के0डब्ल्यू0एम0 राजोरी गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. अजय उम्र 17 वर्ष पुत्र माता कमा पत्नी दलिप कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका बड़ी बहन ममता पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
8. ममता पुत्री माता कमा पत्नी दलीप पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
9. ज्योति पुत्री माता कमा पत्नी दलीप पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
10. करीना उम्र 17 वर्ष पुत्र माता कमा पत्नी दलिप कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका बड़ी बहन ममता पत्नी प्ररमेश्वरम जाति नायक निवासी हिजरासर गोविन्दसर तहसील व जिला सुरतगढ़।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 78 सन 2023 निर्णय दिनांक 13/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 519/507 की कुल 19.8670 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु0 का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested